राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक-202506243100104 / अ—62 वर्ष 2024—25

1	2	3
10/07/2025	प्रकरण आदेशार्थ नियत। 2/— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री नरेंद्र ठाकुर सरपंच ग्राम पंचायत सुर्रा द्वारा ग्राम सुर्रा प0ह0नं0 17 तहसील गुरूर स्थित भूमि शीतला मंदिर के पास ग्रामवासी ग्राम सुर्रा द्वारा टीना शेड का निर्माण किया जाना है, उक्त स्थल पर 02 नग बबूल वृक्ष होने से टीना शेड लगाये जाने में कठिनाई हो रही है। उक्त वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । 3/—प्रकरण तहसीलदार के द्वारा दर्ज किया गया। 4/— प्रकरण में हल्का पटवारी से रिपोर्ट लिया गया। पटवारी प्रतिवेदन अनुसार ख0नं0 218 रकबा 1.83 हे0 शासकीय भूमि मद के कुछ हिस्सा पर शीतला मंदिर का स्थापना गया है। उक्त भूमि से लगा हुआ 02 बबूल वृक्ष 01 वृक्ष 10 फीट लंबा एवं 01 फीट गोला एवं 02 वृक्ष 11 फीट लम्बा, 1.5 फीट चौड़ा मौजुद है, जिससे कांटा असमय सुख कर गिरता है, देवस्थल पर पूजन कार्य में बाधा का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है एवं बबूल वृक्ष से कुछ ही दूरी पर 11 के. व्ही. विद्युत तार लगा हुआ है। जिससे जनहानि होने की संभावना बना रहता है। सार्वजनिक हित में ग्रामीणो के मांग पर बबूल वृक्ष को कांटने की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। 5/— प्रकरण में आवेदक सरंपचं ग्राम पंचायत सुर्रा का कथन अंकित किया गया। आवेदक नरेंद्र ठाकुर अपने साक्ष्य कथन में बताया कि मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत सुर्रा का सरपंच हूं। ग्राम सुर्रा नवीन शीतला मंदिर प्रांगण में ग्रामवासी सुर्रा द्वारा टीना शेड का निर्माण किया जाना है जिसमें 2 बबूल का पेड व्यवधान कर रहे है जिसके कारण टीना शेड निर्माण करने में परेशानी हो रही है। उक्त पेड कंटीला है । बगल में डबरी है जिसमें ग्रामवासी नहाते है जिससे झाड के पत्ता गिरने से पानी खराब होता है। कुछ ही दूरी पर 11 के. व्ही. का विद्युत तार लगा हुआ है जिससे भविष्य में दुर्घटना घटित होने की	

10/7/2025

Scanned with OKEN Scanner

संभावना है। ग्रामवासियों द्वारा टीना शेड लगाना चाहते हैं इस कारण उक्त दोनों बबूल पेड को काटने की अनुमति प्रदान किये जानेका निवेदन किया गया।

प्रकरण में ग्राम पंचायत सुर्रा के द्वारा उक्त बबूल 02 पेड़ों को काटने के लिये प्रस्ताव कमांक 11 दिनांक 24.06.2025 को पारित किया गया है।

अतएव प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, ग्राम पंचायत प्रसतव, पटवारी प्रतिवेदन, आवेदक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। पटवारी प्रतिवेदन अनुसार ग्राम सुर्रा प0ह0नं0 17 तहसील गुरूर स्थित भूमि ख0नं0 218 रकबा 1.83 हे0 शासकीय घांस भूमि के कुछ हिस्से पर शीतला मंदिर का स्थापना है। शीतला मंदिर प्रांगण पर ग्रामवासी द्वारा टीनाशेड निर्माण करना चाहते हैं। उक्त भूमि में लगा 02 नग बबूल वृक्ष जिसकी लम्बाई 10 फीट एवं 01 फीट गोला एवं दूसरा वृक्ष 11 फीट लम्बा एवं 1.5 फीट चौड़ा है। उक्त वृक्षों को जनहित में जन हानि की संभावना होने से कटाई किया जाना प्रस्तावित किया गया।

ग्राम सुर्रा प0ह0नं0 17 तहसील गुरूर स्थित शासकीय घांस भूमि ख0नं0 218 रकबा 1.83 हे0 शीतला मंदिर प्रांगण में स्थित 02 बबूल प्रजाति के विदोहन की अनुमति छ0ग0भू0राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 में बनें प्रावधान के तहत निम्नांकित शर्तो के अधीन दी जाती है–

01. वृक्ष की कटाई ग्राम पंचायत सूर्रा के द्वारा किया जावे, तथा इस दौरान सक्षम अधिकारी/कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित रहेंगे।
02. काष्ठ की नीलामी सरपंच ग्राम पंचायत सूर्रा द्वारा विधिवत कराया जाकर प्राप्त राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में सरपंच व्दारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा।
03. वृक्ष कटाई में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति ग्राम पंचायत सूर्रा के द्वारा की जावेगी।
04. सरपंच ग्राम पंचायत सूर्रा व्दारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएगे।
05. रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय को दी जाएगी।
06. स्वीकृत वृक्ष संख्या 02 से अधिक वृक्षों को न काटा जावे।
07. किसी प्रकार विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आदेश स्वमेय निरस्त मानी

10/7/2025

Scanned with OKEN Scanner

07. किसी प्रकार विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आदेश स्वमेय निरस्त मानी जावेगी।

आदेश की प्रति सर्वसंबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 10/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुद्रा से जारी किया गया।

10/7/2025

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) गुरूर जिला बालोद

प्रतिलिपिः–
01. तहसीलदार गुरूर को सूचनार्थ।
02. वन परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र गुरूर को सूचनार्थ।
03. आवेदक नरेन्द्र ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत सूर्रा वि.ख. गुरूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
04. पटवारी, पहनं0 17 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

10/7/2025

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) गुरूर जिला बालोद

Scanned with OKEN Scanner